



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2012 जिला-अशोक नगर

- R. 3389-५१२
 द्वारा आज दि 3/10/12 को
 प्रस्तुत
 कलर्क अंक कोट
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
 ४-१५ प.३
- 1— कड़ौरी पुत्र कोसा चमार
 - 2— गीताबाई पत्नी कड़ौरी चमार
 - 3— अमना पुत्र पुन्ना चमार
 - 4— नथियाबाई पत्नी अमना चमार
 - 5— देवीलाल पुत्र मुन्ना चमार
 - 6— दौलतबाई पत्नी देवीलाल चमार
- निवासीगण— ग्राम नारायणपुर (अथाईखेड़ा)
 तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1— अमर सिंह पुत्र रूपा बंजारा
 - 2— लाखन सिंह पुत्र रामसिंह बंजारा
 - 3— नरसिंह पुत्र मलोरा बंजारा
 - 4— करतार सिंह पुत्र मुंशी बंजारा
 - 5— मोहन सिंह पुत्र मान सिंह बंजारा
- निवासीगण— ग्राम श्यामापुर (अथाईखेड़ा)
 तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)
- 6— लालू पुत्र सुखलाल
 - 7— राजकुमारी उर्फ मुन्नीबाई पत्नी लालू
- निवासीगण— ग्राम नारायणपुर (अथाईखेड़ा)
 तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग मुंगावली
जिला-अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2003-04 अपील
में पारित आदेश दिनांक 09.03.2005 के विरुद्ध मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3389—दो / 2012

जिला—अशोकनगर

कड़ौरी आदि विरुद्ध अमरसिंह अन्य

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाशकों
आदि के हस्ताक्षर

३०८.२०१९

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अनुभांग मुंगावली जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 36 / 2003—04 / अपील में पारित आदेश दिनांक 09.03.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा —54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2/ पक्षकार दिनांक ३०.०९.२०१९ को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

३

(जोगेंद्र जैन)

सदस्य